महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

क्र0 10540/322/21–अ/विधिक्षा/छ0ग0/16, रायपुर, दिनांक....../10/2016

02 NOV 2016

प्रति,

छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग,
समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,

विषयः– विधि और विधायी कार्य विभाग को परिमार्जन हेतु भेजे जाने वाले विधेयक/अध्यादेश/नियम/अधिसूचना/उपविधि एवं विनियम आदि के संबंध में।

---00---

शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर विधेयक/अध्यादेश/नियम/अधिसूचना/उपविधि एवं विनियम के प्रारूपों के परिमार्जन हेतु प्रकरण इस विभाग को प्रेषित किये जाते हैं ।

प्रायः यह देखने में आया है कि शासन के विभिन्न विभागों से परिमार्जन हेतु प्राप्त प्रकरण में उससे संबंधित मूल अधिनियम/नियम, प्रचलित अधिनियम/नियम, पूर्व संशोधन, वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सेट–अप एवं अन्य संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं रहते हैं। जिसके अभाव में प्रकरण का निर्धारित समय–सीमा में विधिवत परिमार्जन किया जाना संभव नहीं हो पाता।

अतः आदेशानुसार अनुरोध है कि भविष्य में परिमार्जन हेतु प्रकरण/नस्ती विधि विभाग को संदर्भित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवश्यकतानुसार निम्नलिखित में से सभी आवश्यक दस्तावेज/जानकारी नस्ती पर उपलब्ध हैं। ताकि प्रकरण का समुचित परीक्षण किया जा सके।

(1) संबंधित मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना के राजपत्र की प्रति,
(2) प्रचलित अधिनियम/नियम के राजपत्र की प्रति,
(3) पूर्व में किए गए समस्त संशोधनों की अधिनियम/नियम/अधिसूचना के राजपत्र की प्रति,
(4) सेवा भर्ती नियम निर्मित/संशोधन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सेट–अप की प्रति,
(5) परिमार्जन हेतु प्रकरण भेजते समय इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में संबंधित अधिनियम/नियम/अधिसूचना की सभी राजपत्रित प्रतियॉ उपलब्ध करायी गई हैं तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई संशोधन नहीं हुआ है।
(6) प्रस्तावित विधेयक/अध्यादेश/अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप की साफ्ट कापी एवं अन्य संबंधित सुसंगत दस्तावेज ।

(प्रमुख सचिव, विधि महोदय के आदेशानुसार)

2/11/2016

(टी. सी. त्रिपाठी)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग